

F.No.7-553/LS/2019-20/8546

उपायुक्त का कार्यालय

**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER**

आबकारी विभाग

**EXCISE DEPARTMENT**

\*\*\*\*\*

Port Blair dated 16<sup>th</sup> December' 2019

**Notice**

It is brought to the notice of the general public Shri Sumer Verma S/o Shri. Deepak Verma R/o Flat No. 6, Ravindra Mansion, Dinsha Vachha Road, Churchgate, Marine Lines, Mumbai - 400020 has applied for the grant of bar license for Partner of "M/s BIG TREE HOSPITALITY LLP, Chidiyatapu Village, Port Blair, South Andaman".

In this regard, if any person has any objection to this, he/she may file objection in writing along with the proofs thereof to the office of the Deputy Commissioner (South Andaman), Port Blair within 15 days of the issue of this notice.

Objections received after the stipulated period will not be entertained.

Only those objections which attract provisions contained in the Excise Regulations, Rules, Policy and guidelines will be examined.

  
Assistant Commissioner (Excise)

To:-

1. The Chief Editor, The Daily Telegrams, Port Blair with the request to publish the above notice in "The Daily Telegrams" for two consecutive days.
2. All private newspapers, A&N Islands, Port Blair with the request to publish the above notice in their news paper for two consecutive days.
3. The DM (IT) to upload the notice in the Administration's website.

  
Assistant Commissioner (Excise)

फा.सं. 7-553/ला.सा/2019-20/ 8546

**उपायुक्त का कार्यालय**  
**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER**  
**आबकारी विभाग**  
**EXCISE DEPARTMENT**

\*\*\*\*\*

पोर्टब्लेयर, दिनांक: 16<sup>th</sup> दिसम्बर, 2019

**सूचना**

आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि, श्री सुमेर वर्मा, पुत्र- श्री दीपक वर्मा, निवासी-फ्लाट सं. 6, रवीन्द्र मेशन, दिशाँ वचहा रोड, चर्च गेट, मेरिन लाइन, मुम्बई-400020 ने एम/एस बीग ट्री हॉस्पिटालिटी एल एल पी, चिड़ियाटापु गांव, पोर्ट ब्लेयर, दक्षिण अण्डमान के पार्टनर लिए बार लाईसेंस मंजूरी हेतु आवेदन किया है ।

इस संदर्भ में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति है तो वह संबंधित प्रमाणों के साथ उपायुक्त, दक्षिण अण्डमान, पोर्टब्लेयर, के कार्यालय में इस सूचना जारी होने के तिथि से 15 दिनों के भीतर लिखित रूप में आपत्ति दर्ज करा सकते है ।

निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

केवल उन्हीं आपत्तियों पर विचार किया जाएगा जो आबकारी विनियम, नियम, नीति एवं मार्गदर्शनो में समाविष्ट प्रावधानो से संबंधित होंगे ।

सेवा में,

सहायक आयुक्त (आबकारी )

334

1. मुख्य सम्पादक, द्वीप समाचार, अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, पोर्टब्लेयर, को उपर्युक्त सूचना लगातार दो दिन प्रकाशित करने की अनुरोध सहित।
2. सभी निजी समाचार पत्र, अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, पोर्टब्लेयर, को उपर्युक्त सूचना लगातार दो दिन प्रकाशित करने की अनुरोध सहित।।
3. उप प्रबंधक (सू.प्रो) इस सूचना को प्रशासन के वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।

सहायक आयुक्त (आबकारी )

334